



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239222
CG-DL-E-29092022-239222

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4389]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 4389]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4579(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीज (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बीज नियम, 1968 के, नियम 36 में, "रु. 10/-" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएँगे।

[फा.सं. 12-16/2022-एसडी.IV]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: इन नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में जी.एस.आर. 389 (अ), तारीख 10 जून, 1981 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2022

S.O. 4579(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seeds Rules 1968, namely:

1. (1) These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Seeds Rules 1968, in rule 36, for the letters and figures “Rs. 10/-” the words “rupees one thousand” shall be substituted.

[F.No.12-16/2022-SD.IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The rules were last amended in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide G.S.R. 389 (E), dated the 10th June, 1981.